विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 317

दुर्ग, दिनांक - 22/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 115
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी. क्रमांक : **1001918108**

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001918108, स्वीकृत भार 12 किलोवाट, के विद्युत बिल में अनियमितता होने के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 12 किलोवाट है।

3. उक्त कनेक्शन में सितम्बर 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं :–

1. माह नवम्बर 2023 से जुलाई 2025 तक की अवधि में 2862 यूनिट की खपत का बिल बिना उचित मीटर रीडिंग एवं फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर जारी किया गया है। उक्त असेसमेंट का आधार उचित नहीं है, अतः बिलिंग में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

2. उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है। आवेदक के अनुसार इस कारण पावर फैक्टर संबंधी सरचार्ज लगाया जाना उचित नहीं है तथा लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को लागू प्रावधानों के अनुसार वापस लिया जाना चाहिए।

3. कनेक्शन का भार 15 किलोवाट तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

4. उक्त कनेक्शन में ₹100/– मीटर किराया लिया जा रहा है, जिसे नियमानुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन की अवधि अप्रैल 2018 से जून 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर मार्च 2023 से अगस्त 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा सितम्बर 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

2. क्या डिफेक्टिव मीटर की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है?

3. क्या मीटर किराये की दर सही रूप से निर्धारित की गई है तथा पूर्व में स्थापित मीटर की श्रेणी के आधार पर उसका पुनः परीक्षण आवश्यक है?

4. आवेदक द्वारा की गई अन्य शिकायतों के संबंध में क्या निर्देश दिया जाना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, बिलिंग डाटा एवं रीडिंग/गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं :–

6.1 डिफेक्टिव मीटर अवधि की बिलिंग

अभिलेखों के अनुसार उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर मार्च 2023 से अगस्त 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में लगभग 2862 यूनिट के आधार पर बिलिंग की जाती रही है।

दूसरी ओर, स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग अभिलेखों के अनुसार औसत मासिक खपत लगभग 2770 यूनिट रही है।

अतः डिफेक्टिव मीटर अवधि की बिलिंग के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों एवं वास्तविक पश्चातवर्ती खपत को ध्यान में रखते हुए बिलिंग की पुनर्गणना किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए डिफेक्टिव मीटर अवधि की बिलिंग को 2770 यूनिट की औसत मासिक खपत के आधार पर, लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाना उचित है।

6.2 मीटर किराया

अनावेदकगण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात मीटर किराया ₹100/– के स्थान पर ₹35/– की दर से लिया जाना है। तथापि, ₹100/– एवं ₹35/– की दरों के बीच अंतर का आधार तथा कनेक्शन में पूर्व में स्थापित मीटर की श्रेणी स्पष्ट रूप से अभिलेखों से स्थापित नहीं होती है।

अतः पूर्व में स्थापित मीटर के प्रकार/श्रेणी तथा स्मार्ट मीटर की लागू श्रेणी का परीक्षण कर, संबंधित अवधि में लागू नियमों के अनुसार मीटर किराये की पुनर्गणना किया जाना आवश्यक है। यदि परीक्षण में अधिक दर से मीटर किराया लिया जाना पाया जाता है, तो अतिरिक्त राशि का समायोजन किया जाए।

6.3 पावर फैक्टर सरचार्ज

अभिलेखों के अनुसार मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान भी पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की गई है। जब उक्त अवधि में मीटर की कार्यशीलता एवं वास्तविक विद्युत खपत का समुचित मापन उपलब्ध नहीं था, तब उक्त अवधि के लिए लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की पुनः समीक्षा आवश्यक है।

अतः मार्च 2023 से अगस्त 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को बिल से निरस्त कर संशोधित बिल जारी किया जाना उचित है।

6.4 स्वीकृत भार में वृद्धि

आवेदक द्वारा कनेक्शन का भार 15 किलोवाट तक बढ़ाए जाने का उल्लेख किया गया है। यह विषय वर्तमान परिवाद में बिलिंग विवाद से पृथक है। अतः भार वृद्धि की कार्यवाही आवेदक द्वारा नियमानुसार पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर लागू प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. उक्त कनेक्शन में मार्च 2023 से अगस्त 2025 तक मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि की बिलिंग की पुनर्गणना की जाए तथा उपलब्ध स्मार्ट मीटर के आधार पर निर्धारित लगभग 2770 यूनिट की औसत मासिक खपत को आधार बनाकर, लागू नियमों के अनुसार संशोधित बिल तैयार किया जाए।

2. उक्त डिफेक्टिव मीटर अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को निरस्त कर संशोधित बिल में उसका समायोजन किया जाए।

3. मीटर किराये के संबंध में पूर्व में स्थापित मीटर की श्रेणी/प्रकार तथा स्मार्ट मीटर की लागू श्रेणी का परीक्षण कर, संबंधित अवधि के लिए नियमानुसार मीटर किराये की पुनर्गणना की जाए। यदि ₹100/– की दर से अधिक मीटर किराया वसूल किया जाना पाया जाए, तो अतिरिक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग